**राजस्थान सरकार**

**सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग**

क्रमांक : प.4(5)साप्र / 5 / 2014 जयपुर, दिनांकः 31-07-2014

समस्त आवंटी,
बजाज नगर अपार्टमेन्ट,
बजाज नगर, जयपुर।

विषय :– आवंटित राजकीय आवास को रिक्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक नोटिस दिनांकः 20.06.2014 के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि इस विभाग द्वारा बजाज नगर अपार्टमेन्ट, जयपुर में आवंटित राजकीय आवास रिक्त करने के संबंध में आवंटियों के आवेदन–पत्रों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निम्न प्रकार निर्णय लिया गया हैः–

1. **बजाज नगर अपार्टमेन्ट में एक वर्ष से अधिक समय से प्रवासीत ऐसे अधिकारिगण / कर्मचारिगण को तृतीय श्रेणी के आवास हेतु गांधीनगर से भिन्न स्थलों, क्रमशः विद्याधर नगर / मालवीय नगर / जवाहर नगर तथा द्वितीय श्रेणी के आवास हेतु मॉडल टाऊन में स्थित राजकीय आवासों में नियमित आवंटन हेतु विकल्प प्रस्तुत करें।**
2. **बजाज नगर अपार्टमेन्ट में आवासीत रेजीडेण्ट डॉक्टर्स जो जयपुर से Post Graduate कर रहे डॉक्टर्स को उक्त आवास रिक्त करने हेतु दिनांकः 20.01.2015 अथवा नियमित आवास आवंटित होने (जो भी पहले हो) तक का समय और दिया जाता है।**
3. **ऐसी महिला अधिकारी / कर्मचारी, जो प्रसूति अवकाश पर है, एकल है अथवा compessionete आधार पर सेवा में आई है, उन्हें भी प्रवास अनुमति नियमित आवास आवंटन होने तक और प्रवास की अनुमति उनके आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।**

अतः कृपया आप अपना आवेदन–पत्र, जिसमें उपरोक्तानुसार नियमित आवास आवंटन का एक विकल्प अपनी नियमित आवास की वरियता संख्या अंकित करते हुए अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से एक माह के अन्दर इस विभाग में प्रस्तुत करे।

यदि निर्धारित अवधि में आपका कोई आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
2. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके अशा.टीप. क्रमांकः मु.मं.–विशेषाधिकारी(एस) / प–2साप्रवि / जय / 14 / 45417 दिनांकः 09.07.2014 के संदर्भ में प्रेषित है।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा0प्र0वि0।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव